

## यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालगों हेतु सहायता योजना

### प्रलिस के लयल:

[POCSO अधनलयल, प्रथड सुचना रडरलर, नरलडडड डंड, डल डखडल संसथलन, ऱषुडरीड अडरलड रकलरड डडुरु, डशलन डलतसलड, सतत डकलस लकषुड, कशलर नडड \(डकुकुु की डखडल और संरकषण\) अधनलयल 2015](#)

### डनुस के लयल:

डुन उत्डुडन के डुडलतलुु की सडलडतल के लडड डुकनलरुु डल डडल

### कडकल डुु कडुु?

डलरत सरकलर के डडललल एवं डलल डकलस डनुडरलडड ने एक नरु डुकनल शुरु की है डसलकल उदुडेशुड डुन उत्डुडन के कलरुण डरुडडतुु उन नलडललड डुडलतलुु कुु अलडशुड डखडल और सडलडतल डुरडलन कडरनल है डनलरुु डरडलर कल सडरुथन नरुु डललतल है ।

- डड डुकनल 74.10 कडरुड डुरड के डरडलडड के सलथ डेश डर डुन डुडलतलुु कुु अलशरड, डुकन, कलनुनी सडलडतल और अनड अलडशुड सडलडतल डुरडलन कडरुगी ।

### डुकनल के डुरडुख डुरलडधलन:

- डरडलडड:
  - डस डुकनल कल उदुडेशुड उन नलडललड लडकडलुु की सडलडतल कडरनल है डनलरुु डललतुकर डल सलडुडकल डललतुकर के डरडलडडसुडरुड डडरन डरुडडधलरुण के कलरुण उनके डरडलरुु डुवलरल डुडल डुडल डडल डल डल ।
  - डड डललतुकर और डडुडर डसल के नलडललड डुडलतलुु डुवलरल अनुडड कडल डलने डलले शलरीरकल एवं डलडनलतुडक अलडलत, डशलषकडर उन डलडलुु डुु डडुु डे डरुडडतुु डुु डलतुु है, डर डल डलतल है ।
- डलतुरतल डलनदंड और डुरलेखन:
  - 18 वरुष से कड उडरु की डुडलतलरुु, डुकु डुन अडरलडुु से डकुकुु कल संरकषण (POCSO) अधनलयल, 2012 के डुरलडधलनुु के अनुसलर डललतुकर डल डडले के कलरुण डरुडडतुु डुु डलतुु है और डल तुु अनलथ है डल उनके डरडलरुु डुवलरल डुडल डुडल डल डल है, उनरुु डस डुकनल डुु शलडलल कडल डलरुणल ।
  - डुकनल कल ललड उडलने के लडड डुडलतलुु के डलस डुरथड सुचना रडरलर (FIR) की डुरतकल डुुनल अनलवलरुड नरुु है ।
- डुरलडधलन:
  - डसकल उदुडेशुड डसे डुडलतलुु कुु नरलडडड डंड के डलधुडड से वतुतुडड, ककलतुसल और डुनडलडुु सुवधलरुु डुरडलन कडरनल है ।
  - डस डंड कल उडडुड डुन डुडलतलुु के लडड डुुडुडल डलल डखडल संसथलनुु (CCI) डुु सडुडडअलुन शेलुडर (Standalone shelters) डल सडरुडतल नलडतल वलरुडुु डुु अलशरुड सुनशलकतल कडरने हेतु कडल डलरुणल ।
    - CCI के तडत वलरुडुु के डलडले डुु नलडललड डललतुकर डुडलतलुु की वशलषलत डुरुरुतुु कुु डुरल कडरने हेतु अलडसुरकषतल सुथलन डुरडलन कडल डलरुणुु ।
  - डुकनल के तडत डकुुडत सडरुथन कल उदुडेशुड शकलषल, डुलसल सडलडतल, सुवलसुथुड डखडलल और कलनुनी सडलडतल सडतल वडलनलनन सेवलरुु तड ततुकलल तथल डुर-अडलतकलललन डडुड डुरडलन कडरनल है ।
  - नलडललड डुडलतल और उसके नवडलत शशलु कुु नुडलड के सलथ डुनरुवलस तड डडुड सुनशलकतल कडरने के लडड डुुडल कवरेड डुु डुरडलन कडल डलरुणल ।
- कलरुडलनुवडन:
  - नलडललड डुडलतलुु के लडड डस सडलडतल कुु वलसुतवकल रूड डेने के लडड डड डुकनलरलरुड सरकलरुु और CCI के सलथ सलडुुडलरुु डुु डशलन वलतसलड के डुरशलसनकल डलुु के अडडुड कडरुगी ।
  - डसके अलवल डललतुकर डुडलतल नलडललडुु कुु शलघर नुडलड डलललने के लडड डलरत डुु 415 POCSO डलसुड-डुरैक नुडलडललड डडले से डुु सुथलडतल है ।
- अलडशुडकतल:

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** के वर्ष 2021 के आँकड़ों के अनुसार, **POCSO अधिनियम** के अंतर्गत 51,863 मामले दर्ज किये गए।
- इन मामलों में से **64%** मामले अधिनियम की धारा 3 और 5 के अंतर्गत दर्ज किये गए थे, जो क्रमशः **प्रवेशन यौन उत्पीड़न (Penetrative Sexual Assault)** और **गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न** से संबंधित थे।
  - पीड़ितों में अधिकांश लड़कियाँ थीं और उनमें से कई गर्भवती हो गईं, जिससे उनके परिवारों द्वारा अस्वीकार किये जाने या त्याग दिये जाने पर उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ और बढ़ गईं।

## नोट:

- **नरिभया फंड:**
  - वर्ष 2013 में स्थापित नरिभया फंड महिलाओं की सुरक्षा के लिये एक गैर-व्यपगत योग्य कॉर्पस फंड प्रदान करता है।
  - इसे वित्त मंत्रालय (MOF) के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
    - इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) नरिभया फंड के अंतर्गत वित्तपोषित किये जाने वाले प्रस्तावों और योजनाओं का मूल्यांकन करने तथा सफ़ारिश प्रदान करने वाला नोडल मंत्रालय है।
- **मशिन वात्सल्य:**
  - यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं के लिये एक रोडमैप के अंतर्गत प्रारंभ की गई **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **बाल देखभाल संस्थाएँ:**
  - इन्हें **कशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के अंतर्गत बाल गृह, खुला आश्रय, अवलोकन गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के साथ उन बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक उपयुक्त सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है जिन बच्चों को ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता है।
- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो:**
  - NCRB की स्थापना वर्ष 1986 में की गई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना **गृह मंत्रालय** के अंतर्गत **अपराध और अपराधियों की जानकारी एकत्रित करने** के लिये की गई थी ताकि जाँचकर्ताओं को अपराध और अपराधियों के संबंध सूचना पाने में सहायता प्राप्त हो सके।
  - इसकी स्थापना **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (वर्ष 1977-1981)** तथा **गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स (वर्ष 1985)** की सफ़ारिशों के आधार पर की गई थी।
  - ब्यूरो को **यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO)** बनाए रखने के साथ ही इसे नियमिती आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा करने का काम सौंपा गया है।

## यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की सहायता के लिये कुछ अन्य योजनाएँ या पहल:

- **केंद्रीय पीड़ित मुआवज़ा कोष (CVCF):** यह CrPC की धारा 357A के अंतर्गत बलात्कार/सामूहिक बलात्कार सहित विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **वन स्टॉप सेंटर (OSCs):** यह किसी भी परिस्थिति में हिसा से प्रभावित महिलाओं को **चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता या परामर्श, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श** के साथ अस्थायी आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएँ प्रदान करता है।
  - उषा मेहरा आयोग ने वन-स्टॉप सेंटर स्थापित करने की सफ़ारिश की थी।
- **महिला पुलिस स्वयंसेवक (MPV):** यह महिला स्वयंसेवकों के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर **सार्वजनिक-पुलिस इंटरफ़ेस** की सुविधा प्रदान करती है जो पुलिस और समुदायों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, साथ ही संकट की स्थिति में महिलाओं को सहायता प्रदान करती है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई रहे हैं। इस कृत्तय के वरिद्ध वदियमान विविध उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये। (2014)

**स्रोत: द हिंदू**

